

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 056367

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म
(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))
(राज्य के विधान मण्डल हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं शिवर लाल जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अनुष्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्पष्ट अक्षरों में नाम

शिवर लाल
11/1/2012

श्री/श्रीमती शिवर लाल ने आज दिनांक 11.01.2012
(माह) 2012 को न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट (स्थान) पर 11:45 AM बजे मेरे समक्ष
ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

11.01.2012
(प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर)
नाम उत्तराखण्ड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

दस
रुपये

TEN
RUPEES

10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रकरण 26
(नियम 4क देखिए)

10AA 658206

42. 2012-2011
निर्वाचन क्षेत्र से
102. 2012-2011 निवासे 2011 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकार के
समय अर्न्तर्गत द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, जो श्री. राजेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. राजेश आयु 51
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अर्न्तर्गत हूँ सत्यनिष्ठा से
प्रतिष्ठा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर विनम्रलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-
1. मैं, ऐसे किसी उचित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सभ्य अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप
विरहित किया गया है/ किए गए हैं।
(यदि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह विनम्रलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करनेगी)

- (i) मामला/प्रथम शपथ रिपोर्ट संख्या/संख्याएं NU
- (ii) पुलिस थाना (थाने) NU जिला (जिले) NU राज्य NU
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का सश्लेष विवरण जिसके (जिनके) लिए अर्न्तर्गत आरोपित किया गया है NU

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई NU
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरहित किये गए थे NU
- (vi) क्या राणी या कोई कार्यवाही किसी सभ्य अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है-
NU

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की
उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से मिला के लिए सिद्धोक्त उल्लंघना गया है/नहीं उल्लंघना गया है और एक वर्ष या
अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।
(यदि अभियुक्त उपर्युक्त रूप में सिद्धोक्त उल्लंघना गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
विनम्रलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला/प्रथम शपथ रिपोर्ट संख्या/संख्याएं NU
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है NU
- (iii) पुलिस थाना (थाने) NU जिला (जिले) NU राज्य NU
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और सभ्य अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अर्न्तर्गत आरोपित किया गया है NU

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे NU
- (vi) क्या दंडादेश सभ्य अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं NU

ATTESTED

Chm

10-1-2012

P. V. S. BHANDARI
NOTARY PUBLIC

37/36 Court Dhandari

स्थान: 2012-2011

तारीख: 10-1-2012

Chm
अभियुक्तों के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 658201

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्द्वारा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

सत्यमेव जयते स्थान पर आज तारीख 10.1.2012 को सत्यापित किया

I, V.S. Bhandari Dependent Signatory
Notary Public
Dehradun, Uttarakhand
has declared the content of this affidavit to be true before me.
deponent verified by signature
Verified 10.1.2012
Date - 10.01.2012

AB
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रकर के वे स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, फाट दिए जाएं।

V.S. Bhandari
NOTARY PUBLIC
Dehradun, Uttarakhand